10

जनसंचार माध्यमों और सोशल मीडिया का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग

पारस यादव*

वर्तमान में हम सभी संचार माध्यम एंव सोशल मीडिया से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। विचारों और सूचनाओं के आदान-प्रदान की प्रणाली को हम संचार माध्यम या मिडिया कहते हैं। रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, समाचार पत्र व पत्रिकाएँ, कंप्यूटर आदि मिडिया के विभिन्न रूप हैं जो वर्तमान समय में प्रचलित हैं और इन सबका शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान है। आज कंप्यूटर तथा इंटरनेट का महत्व इतना अधिक हो गया है कि हमारे ज़्यादातर कार्य कंप्यूटर व इंटरनेट द्वारा हो रहे हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर संचार का सशक्त माध्यम बन चुका है। शिक्षा में जनसंचार माध्यमों और सोशल मीडिया का कोविड समय में बहुत प्रयोग हुआ। लोगों ने इंटरनेट की मदद से पढ़ने, पढ़ाने के साथ-साथ मनोरंजन के लिए, अपनों से जुड़े रहने के लिए भी इनका प्रयोग किया। इस लेख में जनसंचार माध्यमों और सोशल मीडिया की शिक्षा में भूमिका पर चर्चा की गयी है।

संचार और जनसंचार का अर्थ

किसी माध्यम, जैसे— बोलने, लिखने, इशारों, आदि की मदद से सूचना के आदान-प्रदान की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। जब एक व्यक्ति टेलीफोन पर दूसरे व्यक्ति से बात करता है तब यह संचार प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक परस्पर सूचनाओं के आदान-प्रदान की कला को संचार कहते हैं। इसके विपरीत जब एक वही व्यक्ति अपनी वार्ता को रेडियो या टेलीविजन के माध्यम से असंख्य लोगों तक पहुँचता है, तब हम इसे जनसंचार के नाम से जानते हैं। संचार की प्रकृति मूलरूप में व्यक्तिगत होती है परंतु जनसंचार की प्रकृति सामूहिक होती है। लिखित संदेश, ऑडियो, वीडियो, आदि संचार के विभिन्न माध्यम हैं। दिन-प्रतिदिन के नए-नए आविष्कारों ने जैसे इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि ने इसे और भी अधिक सुविधाजनक बना दिया है। आज हम दुनिया के किस कोने में क्या चल रहा है उसके बारे में सिर्फ़ एक क्लिक पर जान सकते हैं।

* *शिक्षार्थी*, मास्टर ऑफ़ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, (मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट), भोपाल, मध्य प्रदेश

© NCERT not to be republished

जनसंचार का अर्थ है— सूचना, विचारों और मनोरंजन का संचार के माध्यमों द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार। रेडियो, इंटरनेट, मल्टीमीडिया, टेलीविजन, सिनेमा, समाचार पत्र, अन्य प्रकाशन एवं विज्ञापन आदि। इसके अतिरिक्त ऐसे अन्य महत्त्वपूर्ण परंपरागत माध्यम भी हैं, जैसे— लोकनृत्य, नाटक और कठपुतलियों का प्रयोग। भारत में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास जनसंचार की विशाल व्यवस्था है, जिसके क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालय सारे देश में चारों ओर खुले हुए हैं।

शिक्षा में जनसंचार साधनों का प्रयोग

प्रभावशाली शिक्षा एवं शिक्षण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। सामान्यतः शैक्षिक संप्रेषण के भौतिक साधनों को जनसंचार कहा जाता है; जैसे—पुस्तकें, छपी हुई सामग्री, कंप्यूटर, स्लाइड, टेप, फ़िल्म एवं रेडियो आदि। जनसंचार साधनों के द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान-प्रदान करता है तथा नवीन ज्ञान को जनसाधारण तक पहुँचाता है। जब संप्रेषण किसी जनसंचार माध्यम और व्यक्ति के बीच होता है तो हम उसे मास मीडिया (Mass Media) कहते हैं अर्थात वह संप्रेषण साधन, जिसमें व्यक्ति की अनुपस्थिति में छपी हुई सामग्री, रेडियो अथवा दृश्य-श्रव्य सामग्री (दूरदर्शन) द्वारा संप्रेषण होता है, जनसंचार कहलाते हैं। इन साधनों के माध्यम से एक समय में अनगिनत (Uncounted) व्यक्तियों के साथ एकतरफा संप्रेषण होता है अर्थात् संप्रेषणकर्ता को पृष्ठ-पोषण प्राप्त नहीं होता।

कक्षीय परिस्थितियों में अधिकतम शिक्षण अधिगम की प्रभावशाली परिस्थितियाँ उत्पन्न करने के लिए शिक्षा एवं संप्रेषण तकनीकी के जनसंचार माध्यमों का प्रयोग एक उत्तम साधन है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में इस ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया है।

कोविड-19 कोरोना वायरस के प्रसार ने सामान्य जीवन के लिए कई अवरोध उत्पन्न करने के साथ ही अस्थाई विद्यालय बंदी की अनिवार्य परिस्थिति भी पैदा कर दी थी। इसका असर विद्यालयों में पढ़ रहे देश के बच्चों पर पड़ा है। लगातार बढ़ती विद्यालय बंदी से सीखने की प्रक्रिया को नुकसान भी हुआ है। महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए, विद्यालयों को न केवल सीखने-सिखाने के तरीके पर नए सिरे से काम करना पड़ा, बल्कि घर पर शिक्षा और विद्यालय में शिक्षा के स्वस्थ मिश्रण के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की एक बदली हुई विधि भी शुरू हुई।

डिजिटल शिक्षा

आज के युग में इंटरनेट का महत्व बहुत बढ़ गया है। आज छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी ज़रूरत का सर्वोत्तम विकल्प इंटरनेट है, जिसे चाहे पत्र लिखना हो, अपने किसी परिचित से बात करनी हो, इंटरनेट से सब संभव है। लेकिन वास्तव में इंटरनेट क्या है? यह एक नेटवर्कों का जाल या नेटवर्क है। यह दुनियाभर के कंप्यूटरों को मॉडम के माध्यम से एक सूत्र में पिरोता है और एक दूसरे से जोड़ता है। माउस की सहायता से तुरंत वांछित सूचना पर पँहुचा जा सकता है। इटंरनेट की पहुँच में तेज़ी से वृद्धि और विभिन्न सरकारी पहलों (जैसे— डिजिटल इंडिया अभियान आदि) ने डिजिटल शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए एक अनुकूल माहौल बनाया है। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ई-विद्या कार्यक्रम शुरू किया है, यह एक राष्ट्रीय अभियान है, जो डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकजुट

© NCERT not to be republished

करता है। इसमें दीक्षा (एक राष्ट्र-एक डिजिटल प्लेटफॉर्म), टीवी (एक कक्षा-एक चैनल), स्वयं (विभिन्न विषयों पर ऑनलाइन एम.ओ.ओ.सी. एस/मूक्स), आई.आई. टी–पी.ए.एल. (IIT-PAL, परीक्षा की तैयारी के लिए मंच), सामुदायिक रेडियो और सीबीएसई शिक्षा वाणी पॉडकास्ट और एन.आई.ओ.एस. द्वारा विकसित दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अध्ययन सामग्री आदि शामिल है। अब ई-लर्निंग के इन सभी क्षेत्रों का विस्तार एवं विकास शिक्षा मंत्रालय द्वारा चरणबद्ध, व्यवस्थित और एकीकृत तरीके से किया जा रहा है।

जनसंचार की राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका

विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समाज में सकारात्मक परिवर्तन को विकास की संज्ञा दी जाती है। विकास और संचार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सूचनाओं का आदान-प्रदान करने में जनसंचार माध्यम सजग प्रहरी का कार्य करते हैं। शैक्षणिक संस्थानों की ज़िम्मेदारी बनती है कि वे विद्यार्थियों को शैक्षणिक ज्ञान के साथ-साथ व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान करें और विद्यार्थियों को सामुदायिक विकास के विभिन्न कार्यों में योगदान/शमिल करने की भूमिका अदा करे।

ग्रामीण क्षेत्रों की सूचना संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति केवल आधुनिक मीडिया पर निर्भर रहकर नहीं की जा सकती। जब तक ग्रामीण समुदाय को विकास में भागीदार नहीं बनाया जाएगा तब तक राष्ट्र का सही मायनों में विकास संभव नहीं है। हमारे समाज में जनसंचार का महत्व और आवश्यकता बहुत अधिक है। जनसंचार के माध्यमों से सभी को शिक्षा पहुँचा कर संविधान में शिक्षा के मूलभूत अधिकार के राष्ट्रीय महत्व को पूरा करना संचार माध्यमों के ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है।

जनसंचार के माध्यमों का कक्षा-कक्ष शिक्षण में प्रयोग निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है। इनके माध्यम से विभिन्न प्रकार के विषयों का ज्ञान सजीव रूप से कक्षा में कराया जा सकता है तथा जिन कार्यक्रमों को उपस्थित होकर विद्यार्थी नहीं देख सकता है उन कार्यक्रमों को वह इस व्यवस्था के द्वारा देख सकता है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को विभिन्न विद्वानों द्वारा शिक्षा कक्षा-कक्ष में ही प्राप्त हो जाते हैं तथा कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से वे अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बहुमाध्यमीय कार्यक्रमों के माध्यम से कक्षा शिक्षण को प्रभावी एवं रुचिपूर्ण बनाया जा सकता है क्योंकि ये कार्यक्रम छात्रों की रुचि एवं योग्यता को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों के अधिगम स्तर को उच्च बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें विषयवस्तु का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। शैक्षिक कार्यक्रमों में संचार साधनों का प्रयोग संभव होता है जिससे छात्रों की इन कार्यक्रमों के प्रति विशेष रुचि होती है जिससे कक्षा शिक्षण प्रभावी रूप से सम्पन्न होता है। विभिन्न शैक्षणिक शिक्षण कार्यक्रमों में शिक्षण सूत्रों का ध्यान रखा जाता है। ये कार्यक्रम विषयवस्तु को सरल से कठिन की ओर तथा सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्रों का ध्यान रखते हुए प्रस्तुत किए जाते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ऐसे बहुत से सरोकार हैं जिनको समाज तक पहुँचाने में मीडिया महत्वपूर्ण

© NCERT not to be republished

भूमिका निभा सकती है, जैसे अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* का उद्देश्य, सभी बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है। इस नीति के तहत 3 से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 के अंतर्गत रखा गया है। 2025 तक पूर्व-प्राथमिक शिक्षा (3 से 6 वर्ष की आयु सीमा) को सार्वभौमिक बनाना है। कौशल विकास पर ज़ोर दिया गया है। बच्चों को छठी कक्षा से कोडिंग सिखाई जाएगी। सभी स्कूल डिजिटल इक्विप्ड किए जाएँगे। सभी प्रकार की ऑनलाइन विषय-सामग्री को क्षेत्रीय भाषा में अनुदित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के माध्यम से वर्चुअल लैब डिवलेप किया जाएगा आदि। ऐसा करने से *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहजता हो सकती है।

सोशल मीडिया का अध्यापक शिक्षा के लिए योगदान

आज के युग को डिजिटल युग के नाम से भी जाना जाता है। आज के समय में दिन-प्रतिदिन प्रौद्योगिकी का विकास देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया का मतलब है— इंटरनेट के माध्यम से समाचार और खबरों का एक से दूसरी जगह पर स्थानांतरित होना। सोशल मीडिया में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यह सारे एप्लीकेशन आते हैं और वर्तमान में इन सभी एप्लीकेशन का प्रचलन बहुत ही अधिक है। यह कई सामाजिक मुद्दों के लिए जागरूकता पैदा कर सकता है। ऑनलाइन जानकारी तेज़ी से प्रसारित होती है, जिसकी मदद से उपयोगकर्ताओं को सूचना तत्काल ही प्राप्त हो जाती हैं। इसे एक समाचार के माध्यम के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सोशल मीडिया मूल रूप से कंप्यूटर या मोबाइल या फिर फ़ोन आदि जैसे संचार साधनों से संबंधित हैं। इसके द्वारा हम सूचनाओं का एक दूसरे के साथ आदान-प्रदान करते हैं। ऐसे कई वेबसाइट ऐप्स हैं जो सूचनाओं के आदान-प्रदान को संभव बनाते हैं। सोशल मीडिया अब संचार का सबसे बड़ा माध्यम बन रहा है जो तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है।

इसका प्रयोग करके शिक्षक अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं और अपने द्वारा किया गया अच्छा कार्य लोगों तक पहुँचा सकते हैं और साथ ही दूसरों के कार्य से सीख भी सकते हैं। सोशल मीडिया एक बहुत ही प्रभावपूर्ण साधन है, जिसका प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ा है। बहुत से लोग सोशल मीडिया को वरदान मानते हैं और बहुत से लोग इसे अभिशाप मानते हैं। यह स्व-शिक्षा के लिए अच्छा उपकरण है। इसके ज़रिए सूचनाएँ जल्दी से प्राप्त की जा सकती हैं, जिससे उपयोगकर्ता के समय की बचत होती है। इसके सकारात्मक तथा नकारात्मक दो पहलू हैं। यह बच्चों के शिक्षा के स्तर को भी प्रभावित कर रहा है कुछ बच्चे इसके माध्यम से कई गलत गतिविधियों में जा रहे हैं। सोशल मीडिया के उपभोक्ताओं को अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। अपनी निजी जानकारियाँ हर किसी को नहीं देनी चाहिए। विशेषकर विद्यार्थियों को अपने संपूर्ण विकास और अच्छे भविष्य के लिए सोशल मीडिया, शिक्षा, खेलकूद आदि में संतुलन बनाकर चलना चाहिए। हद से ज़्यादा इसका उपयोग करना भी गलत है। हद से ज्यादा सोशल मीडिया का उपयोग करना लोगों में मानसिक कमजोरियाँ पैदा करता है और यादाश्त कमजोर होती है। सोशल मीडिया के माध्यम से सही खबरों के साथ-साथ कई

© NCERT not to be republished

बार गलत खबरें भी फैल जाती हैं और व्यक्ति उसका शिकार हो जाता है।

मीडिया का सकारात्मक प्रभाव और फ़ायदे

टीवी, रेडियो, फ़ोन इत्यादि मीडिया उपकरण हैं। मीडिया का सबसे बड़ा साधन आज के समय में टेलीविज़न है। मीडिया के द्वारा लोगों को शिक्षा मिलती है, वे टीवी, रेडियो प्रोग्राम के द्वारा स्वास्थ्य, वातावरण, दूसरी अन्य जानकारी को प्राप्त कर पाते हैं। मीडिया के द्वारा लोगों को अपना टैलेंट पूरी दुनिया में सबके सामने रखने का एक अच्छा प्लेटफ़ार्म मिला है। बच्चों का ज्ञान बढ़ता है। बच्चे डिस्कवरी जैसे चैनल, क्विज़ प्रोग्राम के द्वारा बहुत कुछ सीखते हैं। रेडियो भी एक अच्छा माध्यम है, इसके द्वारा कहीं पर भी रहकर जानकारी मिल जाती है। आजकल मोबाइल में भी रेडियो, एफ़एम की सुविधा मौजूद रहती है। मीडिया के द्वारा विज्ञापन कंपनी के उन्नति के रास्ते खुल गए हैं। आजकल तो सभी विषयों के लिए अलग-अलग चैनल हो गए हैं, जिससे अपनी मर्जी, मन मुताबिक जब जो चाहा वो देख लिया। बच्चों के लिए अलग से चैनल हैं, जिससे अभिभावक उन्हें सिर्फ़ वही दिखा सकते हैं, और बाकी चैनल से उन्हें दूर रख सकते है। टीवी पर ढेरों स्पोर्ट्स चैनल भी आते हैं, इन्हीं की बदौलत हम घर बैठे-बैठे दूर-दराज चल रहे क्रिकेट मैच का मज़ा पाते हैं। मीडिया हमारी रोजमर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। एक आदर्श मीडिया की अवधारणा में मीडिया सूचना प्रदाता, सकारात्मक, सृजनात्मक, प्रेरणादायी और मनोरंजक होता है। मीडिया लोकतंत्र एवं मानव अधिकारों का एक सशक्त रक्षक है। एक उत्तरदायी मीडिया देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने तथा राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

निष्कर्ष

हम इस सच्चाई को अनदेखा नहीं कर सकते हैं कि जनसंचार के साधन आज हमारे जीवन का अंग है। इसके माध्यम से हम किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा दुनिया के किसी भी कोने में बसे अपने प्रियजनों से बात भी कर सकते हैं। जनसंचार के साधन कहीं न कहीं हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। युवा हमारे देश का भविष्य हैं, वे देश की अर्थव्यवस्था को बना या बिगाड़ सकते हैं, वे इन साधनों का प्रयोग करके अपना भविष्य बना भी सकते हैं और समय बर्बाद भी कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इनके योगदान की जितनी सराहना की जाए वो कम है। बच्चे इनका प्रयोग कर नित नया सीख रहे हैं। शिक्षक भी इनका प्रयोग कर अपनी क्षमतावर्धन कर रहे हैं। कोविड समय में संचार साधनों ने शिक्षा के प्रसार में बहुत मदद की और अब देश मीडिया का प्रयोग हाइब्रिड मोड में कर रहा है।

संदर्भ

नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009. भारत सरकार, नयी दिल्ली.
मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 1986. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986*. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नयी दिल्ली.
शिक्षा मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. शिक्षा मंत्रालय, नयी दिल्ली.
https://www.education.gov.in
https://ncert.nic.in

© NCERT not to be republished